उपायुक्त का न्यायालय, रामगढ़

भू–वापसी अपील वाद संख्या 45/10

जगरनाथ महतो वगैरह बनाम् रामबोल मुण्डा वगैरह

03/2011

–: आदेश :–

यह वाद अनुमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ में भू–वापसी वाद संख्या 41/08–09 रामबोल मुण्डा वगैरह बनाम् जगरनाथ महतो वगैरह में छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(4)(a) के तहत् पारित आदेश के विरूद्ध अपील दायर किया गया है।

दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

अपीलार्थी की ओर से कहा गया है कि मौजा हरहदकण्डेर के खाता नं० 80 प्लॉट नं० 50 रकवा 0.53 एकड़ भूमि सर्वे खतियान में बलकाहा मुण्डा के नाम से दर्ज है। बलकाहा मुण्डा की एक मात्र पुत्री मो० लेदनी हुई। मो० लेदनी ने निबंधित इस्तिफानामा संख्या 263 दिनांक 04.02.1941 के द्वारा भूतपूर्व जमीन्दार गुनी सिंह को प्रश्नगत भू–खण्ड निबंधित कबुलियत नामा सं० 264 दिनांक 04.02.1941 के द्वारा ग्राम हरहद कण्डेर के झगरू महतो, बन्दु महतो और शंकर महतो को बंदोबस्त कर दिया गया। बंदोबस्ती के बाद प्रश्नगत भू–खण्ड पर शांतिपूर्वक दखल कब्जा में रहते हुए जमीन्दार को मालगुजारी देकर जमीन्दारी रसीद प्राप्त किया तथा जमीन्दारी राज्य सरकार में निहित होने पर राज्य सरकार को मालगुजारी देकर सरकारी रसीद झगरू महतो वगैरह के नाम से निर्गत हुआ।

उनका अग्र कथन है कि प्रश्नगत भू–खण्ड को लेकर भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, हजारीबाग के न्यायालय में बरतु मुण्डा के द्वारा ग्राम हरहद कण्डेर के खाता नं० 80 प्लॉट नं० 19 रकवा 0.53 एकड़ कुल रकवा 1.57 एकड़ भूमि भू–वापसी वाद संख्या 101/80 बरतु मुण्डा बनाम् शंकर कुम्हार, बन्दु कुम्हार और बोधि कुम्हार चला। कालबाधित होने के कारण बरतु मुण्डा के भू–वापसी आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध बरतु मुण्डा के द्वारा अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग के न्यायालय में भू–वापसी अपील वाद संख्या 32/80 दायर किया। जिसे अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग के द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया। अंचल अधिकारी, रामगढ़ ने भी अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि अपीलार्थी के नाम ज़मांबंदी चल रही है।

निम्न न्यायालय ने इस सभी तथ्यों को नजर अंदाज करते हुए भू–वापसी का आदेश पारित किया है। क्योंकि यह वाद रेसजुडिकाटा से प्रभवित है तथा कालबाधित भी है। अन्त में अनुरोध किया गया कि निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त करते हुए अपीलार्थी के अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाय।

उक्त कथन के प्रत्युत्तर में उत्तरवादी की ओर से कहा गया है कि ग्राम हरहद कण्डेर के खाता नं० 80 प्लॉट नं० 750 रकवा 0.53 एकड़ भूमि सर्वे खतियान में विपक्षी के परदादा वो परदादा स्वसुर (बलकाहा मुण्डा) के नाम से दर्ज है। विपक्षी के द्वारा किसी भी व्यक्ति के साथ किसी तरह का कोई बिक्री हेतु एकरारनामा या बिक्री नहीं किया गया है। निम्न न्यायालय द्वारा प्रश्नगत वाद में विधि संगत आदेश पारित किया है। अतः निम्न न्यायालय के आदेश को यथावत रखते हुए अपीलार्थी के अपील आवेदन को अस्वीकृत किया जाय।

दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों के विश्लेषण तथा निम्न न्यायालय का अभिलेख तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के

अवलोकन से प्रतीत होता है कि ग्राम हरहद कण्डेर के खाता नं० 80 प्लॉट नं० 750 रकवा 0.53 एकड़ भूमि सर्वे खतियान में बलकाहा मुण्डा के नाम से दर्ज है। अंचल अधिकारी, रामगढ़ ने भी अपने पत्रांक 514 दिनांक 29.04.09 के द्वारा अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि मौजा हरहद कण्डेर के खाता नं० 80 सर्वे खतियान के अनुसार आदिवासी खाता की रैयती भूमि है। आदिवासी खाता की भूमि गैर आदिवासी को कैसे प्राप्त हुआ इसका कोई ठोस कागजात न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है। निम्न न्यायालय द्वारा प्रश्नगत वाद में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(4)(a) में निहित प्रावधानों के तहत नियमसंगत आदेश पारित किया है। ऐसी परिस्थिति में निम्न न्यायालय के आदेश से असहमत होने का कोई विधि संगत कारण प्रतीत नहीं होता है।

फलतः निम्न न्यायालय के आदेश को यथावत करते हुए अपीलार्थी के अपील आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

उपायुक्त,
रामगढ़।

उपायुक्त,
रामगढ़।